कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

email:- bsp.jd18@gmail.com फोन नं. –07752–493695

क/अशास./मान्य.नवीनी./Bilaspur-E /2020–21/20–290 बिलासपुर,दि. 21/12/2021

प्रति,

प्रबंधक/प्राचार्य
दि जैन इंटरनेशनल स्कूल,बिलासपुर
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 190, के प्रयोजन के लिये नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र।

संदर्भः– आपका आवेदन पत्र क. 16043 दि. 31.09.2021।

संदर्भित आवेदन के अनुसार आपकी संस्था को जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के पत्र क./345/अशास/मान्यता/2003, बिलासपुर, दिनॉक 31.12.2003 में उल्लेखित शर्तो के अधीन एवं नोडल प्राचार्य के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर **दि जैन इंटरनेशनल स्कूल बिलासपुर जिला बिलापसुर (यू डाईस–22072516909) को नर्सरी से 12वीं हेतु सत्र 2022–23 तक (अंग्रेजी माध्यम शाला) कार्योत्तर मान्यता/नवीनीकरण** प्रदान करने की संसूचना छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश कमांक एफ.–02–39/2019/20 –दो अटल नगर दिनांक 13.11.2019 के परिपालन में निम्नलिखित नियम एवं शर्त के अधीन दिया जाता है :–

मान्यता/नवीनीकरण के नियम एवं शर्ते

1. प्रवेशित कक्षा से कक्षा 8 वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत् उल्लेखित मानकों के सभी शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय का संचालन लाभ नही हानि नही (No loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जायेगा।
3. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
4. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
5. विद्यालय अधिनियम की **धारा 19** में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिये निम्नलिखित अधोसंरचना होना अनिवार्य है :–

- विद्यालय का भवन–प्रत्येक कक्षा के लिये पृथक–पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण आदि।
- खेल का मैदान।
- प्राचार्य/ प्रधान पाठक एवं स्टाफ के लिये पृथक – पृथक कक्ष।